विहंगावलोकन

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित/नियंत्रित की जाती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक करते है। नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधायतों द्वारा नियंत्रित की जाती है। 31 मार्च 2013 को मध्यप्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रम (52 कम्पनियां तथा 3 सांविधिक निगम) और 9 अकार्यशील उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें 58459 कर्मचारी कार्यरत थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रमों में निवेश (पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण) ₹ 46365.94 करोड़ रूपये था। इसमें 2007–08 से ₹ 16472.66 करोड़ रूपये में 181.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत क्षेत्र में 2012–13 में कुल निवेश की 93.30 प्रतिशत के लगभग लेखांकित की गई। सरकार ने 2012–13 के दौरान समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 12156.08 करोड़ रूपये का योगदान दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2012–13 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार 30 सितम्बर 2013 तक अद्यतन सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रमों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के 26 उपक्रमों ने ₹ 275.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने ₹ 4307.57 करोड़ की हानि उठायी। 4 कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखे नही दिये थे। हानि का कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति में विभिन्न प्रकार की कमियों का होना बताया गया। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के तीन वर्गों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से प्रकट हुआ कि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 458.22 करोड़ रूपये की हानियों तथा ₹ 62.97 करोड़ रूपये के निष्फल निवेश पर अपेक्षाकृत अच्छे प्रबंधन से नियंत्रण पाया जा सकता था।

लेखाओं की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता हैं। कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये समस्त 49 लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षा से अहर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे। जिसमें लेखाकरण मानकों का पालन न करने के 95 उदाहरण थे। कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उनके कमजोर क्षेत्रों की ओर भी इंगित किया गया था।

लेखाओं के बकाया तथा समापन

सितम्बर 2013 तक 25 कार्यशील उपक्रमों के 64 लेखे 1 से 9 वर्षों की अवधि के लिए बकाया थे। कम्पनी अधिनियम प्रावधानों के अनुसार बकाया लेखों को पूर्ण करना आवश्यक है। नौ अकार्यशील उपक्रमों में से सात उपक्रम परिसमापन के अधीन है। बाकि दो अकार्यशील उपक्रमों के लेखे तीन से पॉच वर्षो की अवधि के लिए बकाया हैं।

(अध्याय–1)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा

2.1 "मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/बोर्ड/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ, वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान, किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन" की समीक्षा

मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड/बोर्ड/मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ, किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन" की समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को, ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, राज्य में विद्युत की मांग का आंकलन करने तथा विभिन्न स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत को पूल करके, विद्युत की मांग को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

मई 2013 से जुलाई 2013 के दौरान की गई समीक्षा में, राज्य में विद्युत के नियोजन एवं क्रय सहित, मध्यप्रदेश/कम्पनी द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंधों एवं उनके परिचालन को शामिल किया गया है।

समीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से 1009 मेगावाट क्षमता की नियोजित विद्युतक्रय के विरूद्व, कुल 207 मेगावाट विद्युत क्रय कर सकी।

नवम्बर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने एक गैस आधारित विद्युत परियोजना से, अनुबंधित क्षमता से कम विद्युतक्रय करने के कारण से ₹ 66.77 करोड़ का निष्क्रिय क्षमता प्रभार का भुगतान किया।

बी.एल.ए. पावर के साथ किये गये विद्युत क्रय अनुबंध के सम्बन्ध में किये गये समझौता ज्ञापन तथा कार्यान्वयन करार की शर्तो में विचलन के फलस्वरूप, ढाई प्रतिशत की विद्युत, रियायती टैरिफ की बजाय रेगुलेटेड टैरिफ की दर से खरीदना पड़ा जिससे ₹ 1.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा जिसकी प्रतिबद्व अतिरिक्त लागत ₹ 73.83 करोड़ होगी।

सासन विद्युत परियोजना की सभी छः इकाइयों की कमीशनिंग तिथि (सी.ओ.डी.) में हुये विलंबन के कारण से, कम्पनी 15 माह की अवधि तक,सासन पावर लिमिटेड से सस्ती दरों पर विद्युत प्राप्त करने से वंचित रही जिसके परिणामस्वरूप अन्य स्त्रोतों से विद्युत क्रय करने के कारण, कम्पनी को ₹ 1252.46 करोड़ की संभावित हानि हुई।

बीना थर्मल विद्युत परियोजना की कमीशनिंग में, दिये गये समय विस्तार के अलावा हुई देरी के लिये, कम्पनी ने, टैरिफ आधारित विद्युत क्रय अनुबंध के अनुसार ₹ 10.89 करोड़ की नगदी क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की।

स्थाई प्रभार दरों की कैपिंग हटाने के कारण, कम्पनी को टोरंट से क्रय की गई विद्युत पर स्थाई प्रभार के रूप में, ₹ 24.51 करोड़ का अनिश्चित व्यय वहन करना पड़ा तथा ₹ 145.96 करोड़ की अतिरक्त लागत वहन करने के लिए प्रतिबद्व हुई।

कोयले की लैण्डेड कॉस्ट तथा इसके सकल कैलोरी मूल्य को सत्यापित करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

बिलिंग एवं भुगतान प्रक्रिया में कमी तथा मापदण्डो से विचलन के कारण कम्पनी, विकासकर्ताओं से मिलने वाली ₹ 53.02 लाख की छूट का लाभ नहीं उठा सकी तथा साथ ही विलंब भुगतान अधिभार के रूप में ₹ 6.97 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

(अध्याय–2)

2.2 मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल के कार्यचालन पर समीक्षा

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल के कार्यचालन पर समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (कम्पनी) की स्थापना दिसम्बर 1961 में मध्यप्रदेश राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में, लघु उद्योगों को विपणन, वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबधात्मक सहयोग के रूप में प्रोत्साहन देने के लिए की गयी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत, राज्य के लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा अधिमान क्रय के आधार पर केवल कंपनी से क्रय करने हेतु 149 वस्तुए आरक्षित की है। कंपनी, प्रदायकर्ताओं द्वारा सरकारी विभागों को प्रदाय की गई सामग्री पर प्रदायकर्ताओं से सेवाशुल्क/कमीशन प्राप्त करती है, जो कि कम्पनी की आय का प्रधान स्त्रोत है।

आयोजना

कंपनी ने राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु कोई प्रोत्साहानात्मक व वित्तीय योजना तैयार नहीं की थी। कंपनी ने मेलो तथा रिवर्स क्रेता–विक्रेता सम्मेलन के प्रभाव का आंकलन नहीं किया। अवधि 2008–09 से 2012–13 के दौरान व्यवसाय लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि 80.50 से 120.51 प्रतिशत के बीच रही। कंपनी वर्ष 2009–10, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। उद्योग विभाग, म. प्र. सरकार में पंजीकृत कुल लघु उद्योगों की तुलना में कंपनी में विपणन सहायता प्राप्त कर रहे लघु उद्योगों की प्रतिशतता 0.28 तथा 0.49 प्रतिशत के बीच थी।

विपणन गतिविधियां

आरक्षित मदों के व्यवसाय में कमी के कारण, विपणन विभाग का व्यवसाय वर्ष 2008–09 में ₹ 661.75 करोड़ से कम होकर वर्ष 2012–13 में ₹ 529.60 करोड़ रहा। सरकारी विभागों को आपूर्ति में देरी के कारण मार्च 2012 तक आरोपित की गई अर्थदण्ड की राशि ₹ 1.68 करोड़ संबंधित सरकारी विभागों के पास जमा नहीं कराई गई है। कंपनी ने अखिल भारतीय टेण्डरों में राज्य आधारित इकाईयों को दिये जाने वाले 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान प्रदाय करने हेतु, औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत लघु उद्योग इकाईयों की योग्यता के सत्यापन हेतु कोई पद्धति निर्धारित नहीं की है।

कम्पनी के विभिन्न विभागों की निष्पादनता

कम्पनी के संपदा एवं निर्माण विभाग के संभागों ने जमा निर्माण कार्यों के टेण्डरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन का परिहार करने हेतु कार्यों को कई भागों में विभाजित किया तथा कार्यो की संभावित लागत को ₹ पांच लाख के काफी सन्निकट रखा। संपदा एवं निर्माण विभाग ने रॉयल्टी की कटौती व उसे सरकारी राजकोष में जमा करने के लिये भिन्नात्मक पद्वतियों का अनुपालन किया। कंपनी नवोदय विद्यालय भवनों के निर्माण में भुगतान में देरी होने के संदर्भ में ब्याज वाक्यांश समाहित कराने में असफल रही।

एम्पोरियम की लाभदायकता मुख्यतः सरकारी विभागों, एजेंसियों, संस्थाओं इत्यादि को विपणन वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त कमीशन के शामिल करने के कारण रही, जिस हेतु कंपनी का विपणन विभाग स्थापित है। दिल्ली तथा रीवा एम्पोरियम द्वारा रखे गये स्कंध उनके टर्नओवर से अधिक थे। कम्पनी ने अनुप्रयुक्त माल के निस्तारण हेतु कोई निति निर्धारित नहीं की है। कंपनी के पाँच एम्पोरियम के जीर्णोद्वार हेतु किय गये करारनामों में कार्य में देरी हेतु अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रावधान नहीं किया गया था।

लघु उद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपण्न से प्राप्त कमीशन को शामिल करने के कारण कच्चा माल भण्डार–भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर लाभ में रहे। लौह एवं इस्तपात क्रय करने वाली लघु उद्योग इकाईयों की संख्या वर्ष 2008–09 में 146 से घटकर वर्ष 2012–13 में 102 रही, जिस कारण लौह एवं इस्पात उत्पादकों से प्रदायित मात्रा की तुलना में लौह एवं इस्पात के उठाव में कमी रही। कोयले का अर्जन, आवंटन की तुलना में 72.45 से 86.26 प्रतिशत रहा, तथा कंपनी राज्य में कोयले का प्रयोग करने वाली 19471 इकाईयों की तुलना में केवल 455 इकाईयों को कोयला प्रदाय कर सकी।

कंपनी का टर्नओवर वर्ष 2008–09 में ₹ 151.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 223.05 करोड़ (46.82 प्रतिशत) रहा, जबकि शुद्व लाभ वर्ष 2008–09 में ₹ 13.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 13.76 करोड़ (4.40 प्रतिशत) रहा। लाभ मुख्यतः सावधि जमाओं पर प्राप्त ब्याज के कारण रहा, जबकि कंपनी की चालन गतिविधियों में कमी दर्ज की गई।

कंपनी की देनदारियाँ मार्च 2008 में ₹ 5.72 करोड़ थीं, जो बढ़कर मार्च 2012 को ₹ 9.44 करोड़ रहीं। कंपनी ने अपने अप्रयुक्त व आधिक्यों कोषों के विनियोग के लिये कोई दीर्घकालीन योजना निर्धारित नहीं की।

मानव शक्ति प्रबंधन

कंपनी ने अपनी मानव शक्ति आवश्यकताओं का पुनः आंकलन नहीं किया था।

निगरानी व आंतरिक नियंत्रण

सरकारी विभागों द्वारा आरक्षित वस्तुओं का बाजार से सीधे क्रय करने के जाँचने हेतु कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया, जबकि उक्त वस्तुयें कंपनी से क्रय करने हेतु आरक्षित थी। कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लाभप्राप्तकर्ता इकाईयों के लघु उद्योग इकाई होने के सत्यापन का कोई तंत्र नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र लागू करने के लिये कंपनी के पास कोई स्वतंत्र सूचना प्रौघोगिकी विभाग/सेल नहीं है। कंपनी का पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं था, तथा आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मो को दिया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र स्कंध के भौतिक सत्यापन तथा कुछ प्रारंभिक जाँचों तक सीमित था, जबकि कंपनी का मुख्य कार्यकारी क्षेत्र आंतरिक लेखापरीक्षा की परिधि से बाहर रहा।

(अध्याय–2)

2.3 मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन पर समीक्षा

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सामग्री प्रबंधन पर समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

परिचय

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड राज्य में स्थित तीन ताप संयंत्र (कुल क्षमता 3687 एम. डब्ल्यू.) एवं सात पनबिजली संयंत्र, इसके 21 स्टोरो के माध्यम से कच्चा माल/निविष्टियां जैसे

कोयला, तेल एवं महत्वपूर्ण सामग्री/पुर्जे उपलब्ध करा रहा है। अतः स्टोरों की समय पर जरूरत पूरी करने एवं सबसे कुशल किफायती एवं शीघ्रतिशीघ्र इस प्रकार की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर, पूँजी की न्यूनतम अवरूद्धता के साथ सामग्री का कुशल प्रबंधन आवश्यक वस्तुओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चत करता है।

कम्पनी में सामग्री प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करने हेतु, 2010–11 से 2012–13 तक के लेन–देन को शामिल करते हुए तीन ताप संयंत्रो से संबद्ध सभी स्टोरों के सम्बन्ध में अप्रैल से जुलाई 2013 तक इस विषय पर एक समीक्षा आयोजित की गई। समीक्षा की प्रमुख खोजों, निष्कर्षो एवं सिफारिशों को नीचे सारांश रूप में दिया गया है।

योजना और सामग्री की खरीद के लिए समय निर्धारण

किसी भी मापदंड के अभाव में, दिनों के संदर्भ में प्रकाशन एवं निविदाएं प्रदान करने हेतु मांगपत्र की प्राप्ति की तारीख से कम्पनी ने उपयोगकर्ता विभाग से 38 दिनों से लेकर 246 दिनों तक का समय सूचना प्रकाशित करने एवं निविदा आमंत्रित करने में लिया एवं 238 दिनों से 510 दिन का समय खरीदी आदेश देने में लिया गया इस प्रकार वार्षिक योजना आवश्यकता प्रभावित हुई।

सामग्रीयों की प्राप्ति

43 मामलों में जहाँ क्रय आदेश के मूल्य ₹ पाँच लाख पार कर गए, वहाँ समाचार पत्रों में आवश्यकता प्रकाशित नहीं की गई, जो कि स्थापित प्रक्रियाओं के अंतर्गत जरूरी है। इसके अतिरिक्त कम्पनी के पास प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने का अवसर पहले ही नहीं था, फिर भी सफल निविदा के आधार पर 66 क्रय आदेश जारी करने के कारण संभावित आकस्मिकतओं की पूर्ति के लिए एक द्वितीयक स्त्रोत विकसित करने में भी वह विफल रही।

वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना ₹ 9.75 करोड़ की कीमत की सामग्री/पुर्जे खरीदे गए जिसके परिणामस्वरूप वे विभिन्न स्टोरों पर अतिरिक्त एवं बेकार पड़े पाए गए जिससे कंपनी की धन राशि अवरूद्ध हुई।
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमत सीमा से अधिक कोयला घाटे को अपलिखित किया गया राशि जो वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः ₹50.14 करोड़, ₹35.19 करोड़ एवं ₹40.50 करोड़ रही।

द्वितीय तेल की 60 दिन से भी अधिक रखाव के कारण, इसके अतिरिक्त रख–रखाव पर 2010–2013 में ₹1.40 करोड़ से ₹2.76 करोड़ की लागत आई।

₹102.84 करोड़ के मूल्य के 164 क्रय आदेशों में कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 6.64 करोड की 10 प्रतिशत सुरक्षानिधि इकट्ठा करने के लिए निविदा शर्त माफ कर दी। 52 खरीदी आदेशों के सम्बन्ध में दो से तीन साल व्यतीत होने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई।

निरीक्षण, प्राप्ति और सामग्री के जारी करने में अनियमितताएँ

आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान प्रक्रिया हेतु स्टोरो पर सामग्री प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर सामग्री प्राप्ति प्रमाणपत्र (एम.आर.सी.) जारी करने के कंपनी के स्पष्ट निर्देशों के विरूद्ध खरीदी आदेशों से 325 आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रबंधन ने एम.आर.सी. जारी करने से क्रमशः 209 दिन (सारणी), 918 दिन (बिरसिंहपुर) और 101 दिन (चचाई) में देरी की।

(अध्याय–2)

2.4 मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरण करो योजना का मूल्याकंन एवं प्रबंधन पर समीक्षा

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरण करो योजना का मूल्याकंन एवं प्रबंधन पर समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जुलाई 2004 में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन की गयी है । मध्यप्रदेश के राज्य राजमार्गो और प्रमुख जिला सड़को को मजबूत करने, उनका उन्नयन एवं विकास करना निगम का प्रमुख कार्य है । कुशल, पर्याप्त तथा समुचित तरीके से राज्य में अवसंरचना विकास हेतु कंपनी को अधिदेश प्राप्त है ।

कंपनी द्वारा वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान 16 परियोजना राजमार्ग को बनाओ, चलाओ तथा हस्तातरण (बी.ओ.टी.) योजना के तहत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के विभिन्न माडॅल के द्वारा पूरा किया गया ।

सड़क परियोजनाओं का संक्षिप्त अवलोकन

कंपनी द्वारा 16 में से 11 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया गया। शेष पाँच परियोजनाओं में 67 दिनो से लेकर 564 दिनो की देरी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख प्राप्त करने में हुयी । इसका मुख्य कारण वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में देरी, साइट हस्तांतरण में देरी तथा राईट ऑफ वे से जुड़ी समस्यायें थी ।

पर्यावरणीय शमन की लागत का गलत उपचार

कंपनी द्वारा पर्यावरणीय शमन की लागत पर 25 % वृद्धि एवं इसको निर्माण लागत के रूप में लिये जाने के कारण कन्शेसनायर को ₹ 62.71 लाख का अधिक भुगतान व्ही.जी.एफ. के रूप में किया गया ।

उच्च विशिष्टता के कारण परियोजना लागत में वृद्धि

सड़क पर वर्तमान एवं अनुमानित ट्राफिक को ध्यान में रखते हुये, खिमलासा–मलथॉन खण्ड को दो लेन मानक पर विकसित करने की आवश्यकता नही थी । इस खण्ड को दो लेन मानक पर विकसित करने के परिणामस्वरूप अनुपातिक व्ही.जी.एफ. के रूप में ₹ 14.37 करोड़ का परिहार्य एवं अनुचित व्यय ।

बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) मॉडल के तहत बोनस एवं एन्युटी का भुगतान

तीन परियोजना राजमार्गो को विकसित करने के लिये कंपनी द्वारा नया मॉडल बी.ओ.टी. (टोल प्लस एन्युटी) तैयार किया गया । निर्माण अवधि को परामर्शदाता की सिफारिश के अनुसार तय अवधि में न करने के कारण कन्शेसनायर को ₹ 16.82 करोड़ का अधिक भुगतान ।

पी.पी.पी. के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का चुनाव

बीना–खुरवई–सिंरोज परियोजना राजमार्ग हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का चुनाव पी.पी.पी. के सिद्धांत के विरूद्ध है ।

टोल का गलत निर्धारण

कंपनी द्वारा टोल निर्धारण की कोई मानक प्रक्रिया एवं कार्यविधि न बनाने के कारण, कन्शेसनायर को ₹ 37.43 लाख का अनायास लाभ ।

कन्शेसनायर द्वारा प्रीमियम के भुगतान में विलम्ब

इंदौर–उज्जैन परियोजना राजमार्ग के कन्शेसनायर द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक ₹ 7.69 करोड़ की राशि को प्रीमियम के रूप में जमा नही किया गया ।

(अध्याय–2)

3. सांविधिक निगम से संबंधित समीक्षा

3. मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के कार्यकलापों की समीक्षा

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम (निगम) का गठन 31 मार्च 2003 को हुआ था। निगम का मुख्य कार्य कृषि उत्पादों, उवर्रक, नमक, बोरो की गाठें इत्यादि के भण्डारण हेतु अधोसंरचना का निर्माण करना, गोदाम से माल की निकासी तथा किसानों एवं निजी पार्टियों को कीटनाशक सेवाएं उपलब्ध कराना है । मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद योजना (डी.सी.पी.) के तहत उपार्जित किये गये खाद्यान्नों के भण्डारण करने हेतु निगम भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नोडल एजेन्सी है ।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, निगम राज्य में उपलब्ध 97.50 लाख मैट्रिक टन की कुल भण्डारण क्षमता के विरूद्ध पूरे राज्य में फैले 275 केन्द्रों पर कुल 54.73 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के 2887 गोदाम थे निगम के कार्यकलापो की समीक्षा से निम्नलिखित कमियाँ दर्शित हुई है।

नियोजन

आगामी वर्षो के कार्यकलापों को अच्छी तरह से करने के लिये निगम ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिये राज्य सरकार के साथ सहमति ज्ञापन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में हस्ताक्षरित किये, जिससे सहमति ज्ञापन किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

भूमि की आवश्यकता को राज्य सरकार के साथ हुए सहमति ज्ञापन में पर्याप्त अग्रिम रूप से सम्मलित नहीं करने से निगम, भूमि की अनुपलब्धता के कारण, छिन्दवाड़ा खंडवा, सीहोर और सिवनी में गोदामों का निर्माण नहीं कर सका ।

निगम ने भण्डारण क्षमता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये कोई भी दीर्घकालिक योजना तैयार नहीं की । निगम ने अपनी भण्डारण क्षमता वर्ष 2008–09 में 11.41 लाख मीट्रिक टन से वर्ष 2012–13 में 14.81 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाई लेकिन उसका हिस्सा सीमान्तिक रूप से वर्ष 2008–09 में 15.83 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 15.18 प्रतिशत रह गयी।

गोदामों का निर्माण

धन की उपलब्धता के बावजूद वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान 31,70,790 लाख मीट्रिक टन के भण्डारण क्षमता के लक्ष्य के विरूद्ध निगम ने केवल 6,53,350 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया ।

निविदाओं की वैधता अवधि के भीतर अनुबंध निष्पादित करने में निगम की विफलता के परिणामस्वरूप बाद में कार्य सौपने पर ₹ 1.28 करोड़ के अधिक मूल्य पर निविदायें प्रदान की गई।

परिवर्तनीय कैप और प्री इंजीनियरिंग गोदामों के निर्माण पूर्ण होने में विलम्ब के कारण निगम गोदाम हेतु लागू भण्डारण शुल्क ₹ 49 प्रति मीट्रिक टन के स्थान पर केप हेतु लागू ₹ 24 प्रति मीट्रिक टन की दर से दावा कर सकी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.86 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई ।

गोदामों की उपयोगिता

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान समग्र लक्ष्य के विरूद्ध स्वंय के गोदामों एवं संयुक्त उद्यमों के गोदामों की उपयोगिता कम रही । निगम द्वारा चार शाखाओं में स्वंय एवं किराये के गोदामों में शेष भण्डारण क्षमता की उपलब्धता के बावजूद संयुक्त उद्यमों वाले गोदाम में खाद्यान्नों का भण्डारण किया गया, जिससे निगम को ₹ 25.69 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

खाद्यान्न का भण्डारण

वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान निगम द्वारा निर्दिष्ट भण्डारण लाभ न प्राप्त करने तथा स्कन्ध के क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 91.50 करोड़ मूल्य की हानि की गणना की गई लेकिन निगम ने उसके कारणों का ना तो विश्लेषण किया और ना हीं उपचारात्मक कार्यवाही की ।

निगम द्वारा बिना किसी क्षेत्र परिक्षण के वृहद पैमाने पर नये किस्म के मल्टी लेयर्ड क्रॉस फिल्म केप कव्हर के उपयोग का निर्णय लिया गया । निगम को उच्च कीमत के नये कैप कव्हर खरीदने के कारण ₹ 2.72 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पडा ।

निगम को केन्द्रीय भण्डार निगम/भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में अधिक वजन के पौलिथिन कैप कव्हर खरीदने कारण ₹ 44.00 लाख का परिहार्य व्यय वहन करना पडा ।

वित्तीय/बजटीय प्रबंधन

11 निर्माण कार्यो के संबंध में वास्तविक निष्पादित मात्रा अनुमोदित मात्रा को पार कर गई तथा ₹ 4.57 करोड़ के अधिक मात्रा का भुगतान ठेकेदार को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही किया गया । 10 निर्माण कार्यो के संबंध में ₹ 3.79 करोड़ अतिरिक्त मदों में व्यय किये गये कार्य का भुगतान सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही किया गया ।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम के सभी समुहों में स्वीकृत पदो के विरूद्ध कर्मचारियों/अधिकारियों की कमी थी ।

निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

निगम के कार्यो की समीक्षा के लिये गठित कार्यकारी समिति की बैठक निर्धारित आवृत्ति के अनुसार आयोजित नहीं की गई ।

निगम ने ₹ 5.34 करोड़ के कम्प्युटर सिस्टम को उसकी स्थापना (मार्च 2008) के बाद के सितम्बर 2013 तक उसके साफ्टवेयर में समस्याओं का समाधान ना करने के कारण उपयोग नहीं किया ।

भूमि के पट्टा विलेखों का समय पर नवीकरण सुनिश्चित करने के लिये निगम द्वारा कोई निगरानी प्रणाली विकसित नहीं की गई ।

(अध्याय–2)

4. लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियाँ और संबंधित गंभीर वित्तीय जटिलता दर्शाती है। उल्लेखित अनियमिततायें सामान्यतः निम्नांकित प्रकृत्ति की है।

नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन न किये जाने के कारण चार प्रकरणों में ₹ 33.44 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 4.2, 4.6, 4.7 एवं 4.9)

त्रुटिपूर्ण योजना के कारण दो प्रकरणों में ₹1.55 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 4.1 एवं 4.3)

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा न किए जाने के कारण चार प्रकरणों में ₹7.18 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 4.4, 4.5,4.8, एवं 4.10)

अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण नियंत्रण के कारण एक प्रकरण में ₹168.12 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.11)

कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :–

विशेष अर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) लिमिटेड (इन्दौर) द्वारा आयकर छूट का उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप राशि ₹ 13.25 करोड़ के आयकर एवं ब्याज का परिहार्य भुगतान ।

(कंडिका 4.2)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, को आपूर्ति उपलब्धता सूचना एवं विस्तारित माँग के लिए बिलिंग जारी करने में देरी के कारण राशि ₹ 84.84 लाख के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 4.6)

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, को विद्युत आपूर्ति संहिता 2004 के अनुसार संस्वीकृति पत्र की शर्तों को पूर्ण करने से पूर्व अतिरिक्त भार विस्तारित करने एवं एम. पी.ई.आर.सी. टैरिफ के अनुसार अधिक भार पर अतिरिक्त प्रभार आरोपित न करके उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुचाने के कारण राशि ₹ 3.89 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 4.7)

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, ने टैरिफ के माध्यम से राजस्व राशि₹ 23. 13 करोड़ का परित्याग किया एवं उस पर राशि ₹ 1.27 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई ।

(कंडिका 4.8)

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड, ए ग्रेड फॉस्फेट के उत्पादन के समझौते की शर्तो को लागू करने में असफल रहा । जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को राशि ₹ 14.71 करोड़ के राजस्व की हानि हुई । साथ ही कम्पनी अनिष्पादित मात्रा के लिए राशि ₹ 73.55 लाख की दण्डराशि के आरोपण में भी असफल रही। एवं कम्पनी द्वारा रॉक फॉस्फेट के संविदा खनन के लिए संविदा सुपुदर्गी में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.82 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.9 एवं 4.10)

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड, ने तरलता क्षति को आरोपित न करने के कारण राशि ₹ 153.29 करोड़ की हानि उठाई एवं उसके संयुक्त उपक्रम में भूगर्भीय प्रतिवेदन क्रय करने में देरी एवं दण्डनीय ब्याज के भुगतान एवं अर्थदण्ड के परिणामस्वरूप राशि ₹ 14.83 करोड़ की हानि उठाई ।

(कंडिका 4.11)

(अध्याय 4)